सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-02/2023/200/90-सं0शि0प0का0/2023-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- **समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।**
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक-03 फरवरी, 2023**

विषय: मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के विभिन्न शासनादेशों द्वारा समय-समय पर स्वत: स्पष्ट विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उक्त के संबंध में अद्यतन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के हस्ताक्षर से शासनादेश संख्या-02/2022/539/90-सं0शि0प0का0/2022-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-14-06-2022 के माध्यम से दिशा-निर्देश दिया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि मा0 सदस्य विधान सभा के विरूद्ध प्रोटोकाल उल्लंघन संबंधी विभिन्न प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु मा0 संसदीय अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 01-02-2023 को सायं 03.00 बजे आहूत की गयी। उक्त बैठक में मा0 समिति के सदस्यों द्वारा यह अवगत कराया गया कि संसदीय कार्य विभाग के विभिन्न शासनादेशों द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी मण्डल/जनपद स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मा0 सदस्यगण को अनुमन्य प्रोटोकाल का सम्यक रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मण्डल/जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्यों का टेलिफोन नहीं उठाये जाते है तथा उनके कार्यालयों में फोन नम्बर नोट कराने/लिखवाने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्यों को कॉल बैक नहीं किया जाता है। उक्त के दृष्टिगत मा0 अध्यक्ष विधान सभा द्वारा यह निर्देश दिया गया कि सभी अधिकारीगण द्वारा राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। यह भी अपेक्षा की गयी अधिकारीगण मा0 सदस्यों का फोन आने पर अनिवार्य रूप से उसका सम्मान सहित उत्तर दें तथा बैठक में होने/अनुपलब्ध होने की दशा में कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर मा0 जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करें।

3- सूच्य है कि संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों में मा0 जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह भी निर्देश प्रसारित किया गया है कि समस्त

कृ0पृ0-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधिकारीगण मा0 जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर उनका कॉल रिसीव (Receive) करेंगें तथा बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने की दशा में कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर मा0 जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगें। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के हस्ताक्षर से निर्गत शासनादेश संख्या2-02/2022/539/90-सं0शि0प0का0/2022-02(सं0शि0)/2015, दिनांक-14-06-2022 द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है।

4- अतः इस सम्बन्ध मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वयं एवं अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करें कि वे संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुपालन में मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जाना सुनिश्चित करें। सभी अधिकारीगण मा0 जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर तत्काल उनका कॉल **रिसीव (Receive)** करेंगें तथा बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल ही सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगे। उक्त निर्देशो का अनुपालन न किये जाने की दशा में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही का प्रस्ताव प्रत्येक दशा में संबंधित विभाग को संदर्भित कर दिया जायेगा।

कृपया इस शासनादेश का प्रत्येक दशा में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

जे0पी0सिंह-II
प्रमुख सचिव।

संख्या-02/2023/200/90-सं0शि0प0का0/2023 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6- विशेष सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे0पी0सिंह-II
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in